न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

अनीष बनाम श्री [illegible] वगै.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>दावा 21/2021 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26-3-21 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित, साक्ष्य वादीगण में वादिया नं. 2 का मुख्य परीक्षण में लिखित शुदा शपथ पत्र व वादीगण साक्ष्य गवाह में जोनी सिंह पुत्र दशरथ सिंह का लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। साक्ष्य वादीगण बन्द की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 29-4-2021 को पेश हो। | |
| 8-7-21 | वैश्विक महामारी Covid-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में पत्रावलियों में इकजाई तारीख पेशियां दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण बहस हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20-07-2021 को पेश हो। | |
| 0.07.2021 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई।<br><br>दौराने बहस वकील वादीगण ने अवगत कराया कि ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर [illegible] भूमि खसरा नम्बर 6412/2, 6413/2 कुल [illegible] कुल रकबा 0.5366 हैक्टर के हिस्सा 2/3 भाग का [illegible] नम्बर 1 व हिस्सा 1/3 का वादी [illegible] खातेदार चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादीगण [illegible] मालिक काबिज चले आकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.05.2016 के द्वारा विधिवत तरीके से क्रय | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
| --- | --- |
| | करते हुए कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही 0.5366 हैक्टर भूमि में से 0.50 है0 भूमि का संपरिवर्तन आदेश प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 30.9.2010 को औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवा ली तथा शेष 0.0366 हैक्टर कृषि भूमि रह गई। प्रतिवादी नं. 1 ने उक्त सम्पूर्ण 0.5366 हैक्टर भूमि का विक्रय लेख वादीगण के हक में दिनांक 04.05.2016 को निष्पादित करवा दिया। जिससे वादीगण उक्त सम्पूर्ण भूमि पर बतौर मालिक काबिज चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त भूमि क्रय करने के वाद कई बार प्रतिवादी नं. 2 ता 3 को उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तरह–तरह के बहानेबाजी करके टाल मटोल करते रहे है। इसलिए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6412/2 रकबा 0.2833 हैक्टर व खसरा नम्बर 6413/2 रकबा 0.2533 हैक्टर का वादीगण को काबिज खातेदार घोषित किये जाकर खसरा नम्बर 6412/2 रकबा 0.2833 हैक्टर में से 0.25 हैक्टर भूमि किस्म औधोगिक प्रयोजनार्थ व रकबा 0.0333 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 6413/2 रकबा 0.2533 हैक्टर में से 0.25 हैक्टर भूमि की किस्म औधोगिक प्रयोजनार्थ व रकबा 0.0033 हैक्टर भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाकर खातदारी राजस्द रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा अपनी बहस में किया गया है। <br><br> हमने वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060, 2074 से 2077, विक्रय लेख रजिस्टर्ड दिनांक 04.05.2016 की फोटोप्रति, प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 30.9.2010 को जारी औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश, प्रति[illegible] के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तु[illegible] वादीगण में प्रस्तुत शपथ प[illegible] से अवलोकन किया गया। जिनके [illegible] होता है कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादी नं. 1 से वादपत्र में अंकित भूमियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.05.2016 के द्वारा क्रय किया जाना तथा उक्त विक्रय लेख व कार्यालय |

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

अनीष बनाम [illegible] वगै.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 30.9.2010 को जारी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश का आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रकट होता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमियों का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी नं. 1 का नाम हजफ किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति पेश की है। वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में अंकित तथ्यों के वादपत्र के समर्थन में वादीया नम्बर 2 ने मुख्य परीक्षण में एंव वादीगण साक्ष्य में गवाह जोनीसिंह पुत्र दशरथसिंह ने भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए शपथ पत्र पेश किये है। जिससे भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है एंव वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6412/2 रकबा 0.2833 हैक्टर व खसरा नम्बर 6413/2 रकबा 0.2533 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5366 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के हिस्सा 2/3 भाग का वादी नं. 1 को व हिस्सा 1/3 भाग का वादी नम्बर 2 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं. 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा साथ ही उक्त भूमियों के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश की पालना में भूमि खसरा नम्बर 6412/2 र[illegible]33 हैक्टर में से रकबा 0.25 हैक्टर भूमि की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ व रकबा 0.0333 हैक्टर भूमि की किस्म बारानी–2 एंव खसरा नम्बर 6413/2 रकबा 0.2533 हैक्टर में से रकबा 0.25 हैक्टर भूमि की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ व रकबा 0.0033 हैक्टर भूमि की किस्म बारानी–2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] बनाम [illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
| --- | --- |
| | दावा मु.नं. -21/2021 |
| | जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार फर्द डिक्री जारी होंकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )<br>सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर)<br><br>यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )<br>सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर)<br><br>सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested